संख्या:-08/2022/778/78-1-2022-1826/2021

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड,
लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 02 जून, 2022**

विषयः मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को 'वैट' प्रतिपूर्ति के स्थान पर 'नेट एसजीएसटी' की प्रतिपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के प्रस्तर-4.9 के अन्तर्गत रु0 200 करोड़ से अधिक धनराशि का पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों को केस-टू-केस आधारित विशेष प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत मे0 ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्मार्ट फोन्स उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार रु0 2000 करोड़ का वित्तीय प्रोत्साहन कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की स्वीकृति आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1620/78-1-2016-146आईटी/2016, दिनांक 22 दिसम्बर 2016 द्वारा प्रदान की गई हैः-

क्र0 सं0	उपादान	प्रोत्साहन का विवरण	धनराशि (रु करोड़ में)
1	पूँजी उपादान	भूमि को छोड़कर पूँजीगत निवेश (रु 2000 करोड़) पर 15 प्रतिशत	300.00
2	स्टैम्प ड्यूटी छूट	भूमि हेतु शत-प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी छूट (भूमि के वास्तविक मूल्य के आधार पर)	12.00
3	वैट/केन्द्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्ति	10 वर्षों तक वैट/केन्द्रीय बिक्रीकर की प्रतिपूर्ति	1633.00
4	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी	10 वर्षों तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट	35.00
5	ई.एस.आई. तथा भविष्य निधि	ई.एस.आई. तथा भविष्य निधि अंशदान की प्रतिपूर्ति	20.00
		योग	2000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर (9) में यह उल्लेख निहित है कि स्वीकृत विशेष प्रोत्साहनों के अन्तर्गत वैट/केन्द्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्ति सम्मिलित की गई है। निकट भविष्य में भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. (Goods and Services Tax) लागू किया जाना विचाराधीन है, जिसके दृष्टिगत प्रदेश में जी.एस.टी. व्यवस्था लागू होने पर उपयुक्त प्राविधान किया जायेगा।

3- इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 06 अक्टूबर 2018 से आरम्भ हो गया है तथा 'वैट' के स्थान पर जी.एस.टी. प्रचलन में है, किन्तु मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड को 'वैट' प्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अतएव प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को 'वैट' प्रतिपूर्ति के स्थान पर 'नेट एसजीएसटी' की प्रतिपूर्ति के लाभ नियमानुसार प्राप्त होंगे।

4- उत्तर प्रदेश की योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप में एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के निर्धारण के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश संख्या 21/2020/1395/77-6-2020-5(एम)/2017टीसी-2, दिनांक 12 जून 2020 निर्गत किया गया है।

5- पुनः आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-777/78-1-2020-123आईटी/2016टीसी, दिनांक 28 जुलाई 2020 के द्वारा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्रस्तर-4.5 तथा प्रस्तर-4.7 के अन्तर्गत पात्र इलेक्ट्रानिक्स इकाइयों को एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में विभाग के पूर्व शासनादेश संख्या-777/78-1-2018-123आईटी/2016टीसी, दिनांक 15 जून 2018 एवं शासनादेश संख्या 1393/78-1-2018-123आईटी/2016 टीसी दिनांक 25 अक्टूबर 2018 को अवक्रमित करते हुए पात्र इलेक्ट्रानिक्स इकाइयों को एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति के संबंध में मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) व्यवस्था के निर्धारण हेतु औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त शासनादेश संख्या-21/2020/1395/77-6-2020-5(एम)/2017टीसी-2, दिनांक 12 जून 2020 को अंगीकृत किया गया है।

6- अतः नेट एस0जी0एस0टी0 (एस0जी0एस0टी0 आई0टी0सी0 तथा आई0जी0एस0टी0 आई0टी0सी0 को घटाकर) की प्रतिपूर्ति हेतु औद्योगिक विकास विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 12.06.2020 (यथा संशोधित) से निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया (SoP) की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को "वैट/केन्द्रीय बिक्री कर" की प्रतिपूर्ति के स्थान पर "नेट एस0जी0एस0टी0" की प्रतिपूर्ति आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा निर्गत उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अन्तर्गत ही अनुमन्य होगी।''

7- यूपीएलसी यह सुनिश्चित करें कि निवेशक इकाई द्वारा नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति का क्लेम उसी माल पर किया जाए, जिसकी खपत प्रदेश के अन्दर हुई है। इस हेतु वांछित आंकड़े

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वाणिज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 कामन पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ही उपलब्ध कराये जा सकेंगे।''

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

अरविन्द कुमार

अपर मुख्य सचिव

संख्या- 08/2022/775(1)/78-1-2022 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।

2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- अपर मुख्य सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0शासन।

5- अपर मुख्य सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0।

6- अपर मुख्य सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा उ0प्र0।

8- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।

9- निजी सचिव, विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कुमार विनीत

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।